

Form No-III

अज अदालत फर्द अहकाम (नियम 26) रायसिंहनगर
 उपखण्ड अधिकारी मुकाम

शम किशन 125 A.D. बनाम सरकार
 किस्म गुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 263 सन् 2021
 जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/ 7.89

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुकम की तामील में जारी किए
2/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/536 दिनांक 2/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थी के नाम चक 125 A.D. की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं. 64 में डा. लोखण्ड खाति कावरी को-34MP कोर्ट के स्थान पर शम किशन डा. लोखण्ड खाति कावरी को-34MP कोर्ट की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 125 A.D. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं. 64 में डा. लोखण्ड खाति कावरी को-34MP कोर्ट के स्थान पर शम किशन डा. लोखण्ड खाति कावरी को-34MP कोर्ट की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर
 5/11-21